निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 वैशाख 1948 (श0)

(सं0 पटना 387) पटना, मंगलवार, 28 अप्रील 2026

विधि विभाग

अधिसूचना

28 अप्रील 2026

एस0ओ0 109 दिनांक 28 अप्रील 2026—बंगाल, आगरा एवं आसाम व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1887 (1887 का अधिनियम सं0–XII) की धारा–13 की उप धारा (1) एवं धारा–14 की उपधारा (1) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम सं0–46) की धारा–8 की उपधारा–(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विषय पर निर्गत सभी पूर्व आदेशों एवं अधिसूचनाओं के उपान्तरण में बिहार राज्यपाल निदेश देते हैं कि–

(क) सुपौल जिला के वीरपुर अनुमंडल की स्थानीय सीमाओं के भीतर उद्भूत मामलों को निपटाने के लिये सुपौल न्यायमंडल के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश का एक न्यायालय अब वीरपुर में बैठेगा।

(ख) यह अधिसूचना दिनांक–02 मई, 2026 से प्रभावी होगी।

(सं0सं0–ए/एक्ट–03/1991–3321/जे0)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बासनो शंकर मेहरोत्रा,
विशेष सचिव–सह–प्रभारी सचिव ।

28 अप्रील 2026

एस0ओ0 109 दिनांक 28 अप्रील 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खण्ड(3) के अधीन उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0–ए/एक्ट–03/1991–3321/जे0)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बासनो शंकर मेहरोत्रा,
विशेष सचिव–सह–प्रभारी सचिव ।

The 28th April 2028

S.O. 109, dated 28th April 2026.— In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 13 and Sub-Section (1) of Section-14 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act, 1887 (Act No.-XII of 1887) and Sub-section (3) of Section-8 of The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act. No.-46 of 2023) and in modification of all the previous orders and notifications issued on the subject the Governor of Bihar is pleased to direct that-

(a) One Court of District and Additional Sessions Judge of Supaul Judgeship shall now hold its sittings at Birpur for the disposal of such cases as may arise within the local limits of Birpur Sub-Division of Supaul District.

(b) This Notification shall come into force with effect from 02nd May, 2026.

(File No.-A/Act-03/1991-3321/J.)
By Order of the Governor of Bihar,
BASNO SHANKER MEHROTRA,
Special Secretary-Cum-In-charge Secretary
to the Government of Bihar.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 387-571+100-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in